झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड अधिनियम 5, 1987 की धारा-3 में संशोधन ।

झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ – (1) यह अधिनियम झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3. यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 5, 1987 की धारा –3 में संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नई उप–धारा (3) जोड़ी जायेगी :–

"(3)किसी सम्पत्ति का स्वामी अथवा अधिभोगी, लिखित सहमति देने के पश्चात, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जो वैसा चुनाव जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता हो, चाहे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हो, अपनी निजी सम्पत्ति का उपयोग, चुनाव में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ, उस अवधि में जो चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अधिसूचित किया जाय, करने की अनुमति दे सकेगा।

इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ निजी सम्पत्ति से अभिप्रेत है वैसी सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे मे हो और किसी भी प्रकार से सर्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग नही किया जाता हो " ।

यह विधेयक झारखण्ड सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 05 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधानसभा में उदभूत हुआ और दिनांक 05 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 43–50–19–8–2014 ।